न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—104/2013/223 (2013/00020)

1. जयसिंह दत्तक पुत्र उगमा जायंदा पुत्र लाडू,
2. लाडू पुत्र गोकुल,
3. मोहनी देवी पत्नि लाडू,
   निवासी भवानी खेड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. धर्मा पुत्र गोकुल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— रतनी पत्नि धर्मा,
   1/2— श्रवण पुत्र धर्मा,
   1/3— श्रवणी पुत्री धर्मा,
   1/4— सम्पति पुत्री धर्मा,
   1/5— सुनील पुत्री धर्मा,
   निवासीगण ग्राम भवानी खेड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 10.1.2013 अंतर्गत वाद संख्या 59/2008.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री रविन्द्र सेठी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 29.10.2024

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 10.1.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम भवानीखेड़ा के खाता संख्या 25/24 किता 13 रकबा 2.31 है0 व ग्राम नान्दला के खाता संख्या 98/107 किता 2 रकबा 0.49 है0 आराजी भूमि के खातेदार उगमा, धर्मा व लाडू पि0 गोकुल थे तथा उगमा की मृत्यु हो गयी है तथा उसके कोई वारिस नहीं है । अतः आराजी मुतनाजा में धर्मा व लाडू

बराबर 1/2 हिस्से के अधिकारी है जिस पर संयुक्त काबिज काश्त चले आ रहे है जिसका विभाजन किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर प्रतिवाद व प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि स्व0 उगमा ने प्रतिवादी संख्या 3 जयसिंह को अपने जीवनकाल में ही रजिस्टर्ड गोदनामा से गोद ले लिया था और दत्तक पुत्र होने के कारण धर्मा व लाडू और जयसिंह तीनों ही बराबर–बराबर 1/3 हिस्से के अधिकारी है तद्नुसार तीनों को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार अंकित कर विभाजन कराया जावे और विरासत नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 21.6.2007 को निरस्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.1.2013 द्वारा वादी का वकील स्वीकार करने कर प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट जयसिंह के दत्तक पुत्र होने के बाबत् निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है एव ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा बाबत् को निर्णय पारित किया है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपना निर्णय केवल मात्र नामांतकरण आदेश संख्या 39 दिनांक 21.6.2007 को आदिनांक तक चुनौती नहीं देने और गोदनामा के आधार पर अमलदरामद के प्रयास नहीं किये जाने पर आधारित किया है । वादी का वास्तविक कब्जा व काश्त कितने हिस्से पर है उसको साबित करने का भार वादी पर था जिसे उसने साबित नही किया है । इसके विपरीत वादी का अपने पिता स्व0 गोकुल के जीवनकाल में ही अलग हो जाने, अलग मकान हो जाने, स्व0 उगमा, लाडू व गोकुल के एक साथ रहने आदि जैसे स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में नहीं रख कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी का परीक्षण किये बिना निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट संख्या 1 जयसिंह पंजीकृत गोदनामा से स्व0 उगमा का दत्तक पुत्र है तथा उक्त गोदनामा सक्षम न्यायालय निरस्त भी नहीं हुआ है । कानूनन गोदनामा निरस्त भी नही हो सकता है । इसके अतिरिक्त वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 स्व0 गोकुल के जीवनकाल में ही अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया था और उसका मौके पर वास्तविक कब्जा व काश्त भी 1/2 हिस्से पर नहीं है । अधी0न्याया0 ने कागजी राजीनामा को साक्ष्य में ग्राह्य करके उसे साबित मानकर विधिक त्रुटि की है । कथित कागजी राजीनामा की प्लीडिंग वादी ने मूल वाद में नहीं ली थी इस कारण उक्त राजीनामा पर अपीलांटस प्रतिवादी में भी कोई अभिवचन नहीं कर सके थे । वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी इस राजीनामे के बाबत् कोई बयान नहीं दिये थे । प्रतिवादी संख्या 2 लाडू की जिरह के दौरान बीच में प्रार्थना पत्र पेश कर इस विलेख को प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 27.8.2012 को स्वीकार किया जो विधि विरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार कर तीनों पक्षों का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0एल्ब्यू0 2007 पार्ट–1 110, आर0आर0डी0 1990 पेज 44, आर0आर0टी0 2008 पार्ट–2 पेज 731, 1166 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात के खातेदार उगता, धर्मा, लाडू0 पि0 गोकुल थे । इनमें से उगमा नाऔलाद फौत हो गया था। विवादित आराजियात जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 21.6.2007 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई । अपीलांट जयसिंह स्व0 उगमा का दत्तक पुत्र नहीं है । अपीलांट द्वारा विरासत नामांतकरण को इतने समय तक चुनौती क्यों नहीं दी गई इस संबंध में कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । यदि जयसिंह स्व उगमा का दत्तक पुत्र होता तो विरासत नामांतकरण तस्दीक करते समय इस बाबत् ऐतराज करता । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2011 पार्ट–1 पेज 82 का न्यायियक दृष्टांत उद्धरित किया।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात के खातेदार उगमा, धर्मा, लाडू पि0 गोकुल थे जिसमें से उगमा की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके कोई वारिस नहीं है । अतः धर्मा व लाडू ही विवादित आराजियात के बराबर–बराबर 1/2 हिस्से के अधिकारी है । उक्त आराजियात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर विधिवत् विभाजन किया जावे। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने प्रतिवाद पत्र एवं प्रतिदावा पेश कर कथन किया कि उगमा के कोई वारिस नहीं था । स्व0 उगमा ने प्रतिवादी जयसिंह को गोद लिया था जिसका गोदनामा दिनांक 28.12.2006 को उप पंजीयक, नसीराबाद के द्वारा पंजीबद्ध भी किया हुआ है ।अतः प्रतिवादी जयसिंह स्व0 उगमा का पुत्र होने से वारिस है तथा स्व0 उगमा की मृत्यु होने पर उसका हिस्सा जरिये विरासत उसे प्राप्त हुआ है । वादी केवल 1/3 हिस्सा ही प्राप्त कर सकता है । उगमा का निधन होने पर उसका 1/3 हिस्सा जरिये विरासत उसके दत्तक पुत्र जयसिंह में अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 में कानूनन निहित हुआ है तथा उसके हिस्से की खातेदारी कानूनन प्रतिवादी जयसिंह के नाम किया जाना आवश्यक है । अधी0न्याया0 ने वाद में अनुतोष सहित कुल चार तनकियात कायम की है किन्तु अपीलांट/प्रतिवादी जयसिंह द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में पंजीकृत गोदनामे का उल्लेख किये जाने संबंध में कोई भी तनकियात कायम नहीं की है । जब अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट जयसिंह को जरिये पंजीबद्ध गोदनामा के गोद लिये जाने का तथ्य आ चुका था तो अधी0न्याया0 को पंजीबद्ध गोदनामे के संबंध में भी तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट/प्रतिवादी जयसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है जिससे भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.1.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट जयसिंह के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत गोदनामा के संबंध में तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के संबंध में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर